राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः एफ–3(ख)/एस–66/2008/अलेसे–II 628 दिनांक– 22.6.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सतीश कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवायें, टोडाभीम से उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, टोडाभीम में किया गया था। श्री मीणा ने उक्त आदेशों के विरूद्व माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील की थी। माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 01.06.2018 द्वारा स्थगन आदेशों को प्रावकाश करते हुए अपील खारिज की गई। निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मीणा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री सतीश कुमार मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते है कि श्री मीणा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141–2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सतीश कुमार मीणा को निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः एफ–3(ख)/एस–66/2008/अलेसे–II 628 दिनांक– 22.6.18

प्रतिलिपिः–

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवायें, टोडाभीम।
2. उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, टोडाभीम।
3. श्री सतीश कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवायें, टोडाभीम।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)